

आरटीआई प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.7	सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद, समितियां और अन्य निकाय [धारा 4 (1) (बी) (viii)]	(i) बोर्ड, परिषद एवं समिति आदि का नाम	<p>विभिन्न बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण नीचे दिया गया है, जिन्हें विभिन्न प्रयोजनों के लिए गठित किया गया है या जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं।</p> <p>पष्टि की जाती है कि इन बोर्डों, समितियों और निकायों की बैठकें आंतरिक निर्णय लेने के लिए होती हैं और सामान्यतः सार्वजनिक नहीं होती हैं तथा कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किए जाते हैं।</p> <p>बोर्डों के अतिरिक्त, ऊपर संदर्भित स्थायी समितियों में से कुछ समितियों का गठन विशिष्ट उद्देश्य और सिफारिशों के लिए किया जाता है और उसके बाद कार्यकाल समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, कार्मिकों की पदोन्नति, कार्मिकों के चयन की सिफारिश करने और किसी व्यापक मुद्दे के संदर्भ में विशिष्ट सलाह देने के लिए गठित समितियां।</p>
		(ii) संरचना (iii) गठित होने की तिथि	<p>कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल में निहित है। कंपनी के संगम-अनुच्छेद के संदर्भ में निदेशक मंडल में न्यूनतम तीन निदेशक और अधिकतम पंद्रह निदेशक हो सकते हैं। निदेशक मंडल की नवीनतम संरचना निम्न लिंक पर उपलब्ध है:-</p> <p>https://www.pfcindia.com/BoardofDirectors</p> <p>बोर्ड स्तरीय समितियों की नवीनतम संरचना नीचे दिए गए लिंक पर है:-</p> <p>https://www.pfcindia.com/Home/VS/10231</p>
		(iv) अवधि एवं कार्यकाल (v) शक्तियां एवं कार्य	<p>समितियों का विवरण (उनकी शर्तें/कार्यकाल/शक्तियां आदि) वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली निगमित अभिशासन रिपोर्ट में शामिल हैं जो पीएफसी वेबसाइट के निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है (वार्षिक रिपोर्ट): -</p> <p>http://www.pfcindia.com/Home/VS/72</p>

आरटीआई प्रकटीकरण

		(vi) क्या उनकी बैठकें सार्वजनिक हैं?	बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकें सार्वजनिक नहीं होती हैं
		(vii) क्या बैठक के कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से घोषित किए जाते हैं।	कंपनी के आंतरिक दस्तावेज होने के कारण, बोर्ड या उसकी समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किए जाते हैं।
		(viii) उस स्थान को बताएं जहाँ पर कार्यवृत्त सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं?	

आरटीआई प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.8	अधिकारियों और कार्मिकों की निर्देशिका [धारा 4(1) (बी) (ix)]	(i) नाम एवं पदनाम	पीएफसी के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की निर्देशिका उनके नाम, पदनाम सहित दूरभाष नं. और ईमेल आईडी, नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है :- https://www.pfcindia.com/Home/VS/50
		(ii) टेलीफोन, फैक्स एवं ईमेल आईडी	

आरटीआई प्रकटीकरण

संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.12	आरटीआई विषय पर अतिरिक्त समझ हेतु कार्यक्रम (धारा 26)	(i) शैक्षणिक कार्यक्रम	निगम की नीति के अनुसार, पीएफसी कार्मिकों को उनके जॉब प्रोफाइल के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
		(ii) इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास	
		(iii) सीपीआईओ/ एपीआईओ का प्रशिक्षण	
		(iv) संबंधित लोक प्राधिकारियों द्वारा आरटीआई पर दिशा-निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना	आरटीआई प्रकटीकरण की सामग्री को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है!

आरटीआई प्रकटीकरण

संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद्द	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.13	स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश [एफ नं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]		स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश नीचे दिए गए लिंक पर उल्लिखित हैं: - https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176

आरटीआई प्रकटीकरण

1. बजट और कार्यक्रम

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
2.2	विदेशी और घरेलू दौरे (फा.सं.1/8/2012-आईआर दिनांक 11.9.2012)	(i) बजट (ii) सरकार के मंत्रालयों और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर की रैंक के अधिकारियों के साथ-साथ विभागाध्यक्षों द्वारा विदेशी और घरेलू दौरे क. दौरे का स्थान ख. यात्रा की अवधि ग. आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या घ. दौरे पर व्यय	विदेशी और घरेलू दौरे के लिए स्वीकृत बजट क्रमशः 5 करोड़ रुपए और 7.47 करोड़ रु. था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कोई दौरा नहीं किया गया।
		(iii) खरीद से संबंधित सूचना क) सूचना/निविदा पृछताछ, और उसका शुद्धिपत्र यदि कोई हो, ख) खरीदी जा रही वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नामों को शामिल करते हुए अवॉर्ड की गई बोलियों का विवरण, ग) उपर्युक्त के किसी भी ऐसे संयोजन में पूर्ण हुई कार्य संविदा – और घ) दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य संविदा निष्पादित की जानी है।	निविदाओं के संबंध में विवरण नीचे दिए गए लिंक पर दिया गया है: - https://www.pfcindia.com/Tenders

आरटीआई प्रकटीकरण

बजट और कार्यक्रम

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
2.3	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन की रीति [धारा 4(i)(ख)(xii)]	(i) गतिविधि संबंधी कार्यक्रम का नाम	भारत सरकार की उन योजनाओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिनकी निगम एक नोडल एजेंसी है, नीचे दिए गए लिंक पर उल्लिखित है: - http://pfcindia.com/Home/VS/23
		(ii) कार्यक्रम का उद्देश्य	लागू नहीं
		(iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया	
		(iv) कार्यक्रम/योजना की अवधि	
		(v) कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य	
		(vi) सब्सिडी /आबंटित राशि की प्रकृति/मात्रा	
		(vii) सब्सिडी के अनुदान के लिए पात्रता मानदंड	
		(viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफाइल आदि)	

आरटीआई प्रकटीकरण

बजट और कार्यक्रम

क्र.स.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
2.4	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [एफ. नंबर 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]	(i) राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों/अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन	भारत सरकार की योजनाओं से संबंधित प्रासंगिक जानकारी, जिसमें निगम एक नोडल एजेंसी है, नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है: - http://pfcindia.com/Home/VS/23
		(ii) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान करने वाली सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक लेखे	विद्युत संस्थाओं की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आरटीआई प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.11	उन कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित/ की गई है (धारा 4(2))	कार्मिकों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (i) छोटी पेनल्टी या बड़ी पेनल्टी कार्यवाही के लिए लंबित है	वित्तीय वर्ष 2021-22 में, 1 पूर्व कार्मिक और 6 मौजूदा कार्मिकों के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। उपर्युक्त के अतिरिक्त 1 पूर्व कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित थी क्योंकि आरोपित अधिकारी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की थी। वर्तमान में माननीय न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद संबंधित पूर्व कार्मिकों (अपीलकर्ता) ने इस फैसले के विरुद्ध अपील दायर की है। हालांकि, अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है। तदनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए जांच अधिकारी एवं प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को नियुक्त किया गया है।
		(ii) छोटी पेनल्टी या बड़ी पेनल्टी कार्यवाही का निर्धारण किया जा चुका है	अनुशासनात्मक कार्यवाही की समाप्ति के बाद 1 पूर्व कार्मिक और 6 मौजूदा कार्मिकों पर बड़ी पेनल्टी लगाई गई है।

आरटीआई प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.10	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण [धारा 4(1) (ख) (xvi)]	<p>(i) लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), सहायक लोक सूचना और अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पदनाम</p> <p>(ii) प्रत्येक नामित अधिकारी का पता, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी।</p>	<p>लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के नाम, पदनाम और अन्य विवरण (पते, टेलीफोन नंबर और ई-मेल आईडी के साथ) नीचे दिए गए हैं :</p> <p>लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) श्री मनोहर बलवानी, मु.म.प्रबंधक(कं.स.) एवं जन सूचना अधिकारी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 'ऊर्जानिधि', 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001, टेलीफोन नं.011-23456000(का.) फैक्स न. +91-11-23456740 ई-मेल आईडी mb@pfcindia.com</p> <p>पीआईओ की जिम्मेदारी मानित पीआईओ (ओं) से जानकारी एकत्र करना और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से संबंधित सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को प्रदान करना है।</p> <p>प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) श्री रिज़वानर रहमान कार्यपालक निदेशक(जनसंपर्क) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी(आरटीआई) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001. संपर्क नं. : 011-23456000 ई-मेल : rrahman@pfcindia.com</p> <p>लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अपील स्वीकार करने के लिए प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) का गठन किया गया है।</p>

आरटीआई प्रकटीकरण

1. संगठन और कार्य

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
1.9	क्षतिपूर्ति व्यवस्था सहित अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1) (ख) (x)]	<p>(i) सकल मासिक पारिश्रमिक वाले कार्मिकों की सूची</p> <p>(ii) इसके विनियमों में प्रदान की गई क्षतिपूर्ति व्यवस्था</p>	<p>निगम द्वारा अपनी स्थायी नामावली में नियुक्त कार्मिकों और अधिकारियों को मासिक आधार पर पारिश्रमिक प्राप्त होता है। हालांकि, पारिश्रमिक की कुछ श्रेणियां हैं, जो वार्षिक आधार पर व्यक्त और तय की जाती हैं। जबकि कार्मिकों और अधिकारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक में मूल वेतन, महंगाई भत्ता जैसे तत्व शामिल होते हैं, वार्षिक आधार पर व्यक्त और भुगतान किए गए पारिश्रमिक में कार्मिक प्रोत्साहन योजना आदि के संदर्भ में निगम के सामूहिक कार्य-निष्पादन के आधार पर परिवर्तनशील क्षतिपूर्ति शामिल होती है।</p> <p>विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों और कार्मिकों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक की विस्तृत संरचना नीचे दिए गए लिंक पर है:-</p> <p>https://www.pfcindia.com/DocumentRepository/ckfinder/files/RTI/RTI_Disclosure/x%20Monthly%20Remuneration%20recieved%20by%20officers%20and%20employees%20including%20system%20of%20compensation(1).pdf</p>

आरटीआई प्रकटीकरण

1. बजट और कार्यक्रम

क्र.सं.	मद	प्रकटीकरण का विवरण	सूचना/ प्रासंगिक वेब लिंक
2.1	प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण की रिपोर्ट आदि शामिल हैं [धारा 4(1)(बी)(xi)]	(i) सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट (ii) प्रत्येक एजेंसी के लिए बजट और योजना एवं कार्यक्रम (iii) प्रस्तावित व्यय (iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो (v) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं	प्रासंगिक जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर दी गई है: - https://www.pfcindia.com/Home/VS/10176